सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 94/2010

सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा ..प्रार्थी

बनाम

मूलचंद पुत्र कल्याण सहाय जाति मीना निवासी सैंथल तहसील व जिला दौसा ..अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)
भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थिति–1. श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता सरकार की ओर से
2. श्री गंगा सहाय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से

<u>निर्णय</u> दिनांकः 07.08.2018

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, दौसा ने आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर दिनांक 25.05.1992 को ग्राम चक हबीबवाला तहसील दौसा के आ0ख0नं0 184 रकबा 0.40 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी मूलचंद को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि दिनांक 25.05.1992 को ग्राम चक हबीबवाला तहसील दौसा के आ0ख0नं0 184 रकबा 0.40 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी मूलचंद को किया गया। किंतु अप्रार्थी द्वारा आवण्टित भूमि की आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं । भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में दलील दी कि अप्रार्थी आवंटित भूमि पर लगातार काबिज है। अप्रार्थी ने मौके पर झूपडी बना रखी है व जानवर पाल रहा है। बरसात होने पर खेती की जाती है। अप्रार्थी द्वारा वरवक्त बहस लिखित बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में निवेदन किया कि दिनांक 05.08.2006 को अति0 जिला कलेक्टर महोदय ने अप्रार्थी को बिना सुने ही आवंटी का आवंटन निरस्त कर दिया गया। आवंटन निरस्त करने का आदेश एक बार ही होता है। अति0 जिला कलेक्टर महोदय दौसा के निर्णय के विरुद्ध अप्रार्थी ने जानकारी होने पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा में अपील की जा चुकी है जहॉ पर दिनांक 08.09.2017 को निर्णय दिनांक 05.08.2006 को स्थगित कर रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने का आदेश दिया है। इसलिए यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र निरस्त किया जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध आवंटन निरस्त करवाने हेतु तहसीलदार दौसा द्वारा प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण का पूर्व में ही न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा दिनांक 05.08.2006 को उनके पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त करते हुए निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा में अपील विचाराधीन होना वरवक्त बहस व लिखित बहस में अंकित किया है। पत्रावली में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के ऑर्डरशीट की प्रमाणित प्रति संलग्न है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि मामला अभी भी विचाराधीन हो सकता है। किंतु आवंटन पत्रावली में संलग्न न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा पारित निर्णय 07.08.2006 से स्पष्ट है कि आवंटी मूलचंद पुत्र कल्याण सहाय मीना निवासी सैंथल तहसील दौसा को किया गया आवंटन दिनांक 25.05.92 खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में जब प्रकरण का निर्णय हो चुका है तो अब पुनः यह प्रा0 पत्र 14 (4) प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः तहसीलदार, दौसा प्रस्तुत प्रा0 पत्र चलने योग्य नहीं है। जब पूर्व में ही इसका निर्णय हो चुका है, तो पुनः उन्हीं बिंदुओं पर प्रस्तुत प्रा0पत्र विधि विरुद्ध है। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार, दौसा को निर्देश दिये जाते है कि वे इस संबंध में जॉच करें कि उक्त प्रा0 पत्र बिना जॉच किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है और कौन–कौन इसके लिए दोषी है बाबत रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 07 अगस्त,2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official